Date: 4th November, 2024

**Seeking Public Comments/ Opinion on**
**Jute & Jute Textile Control Order 2016**

Vide earlier Notice dated 08.04.2024, this office sought public opinion/comments from the stakeholders proposing amendments to the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016. However, till date very few responses have been received.

This office hereby again invites public opinion / comments with the intent of proposing amendments in the Jute & Jute Textile Control Order 2016 to make the regulation in alignment with the present times.

A copy of the Jute & Jute Textiles Control Order, 2016 is annexed along with for the intended stakeholders.

Suggestions from general public/concerned stakeholders/ interested persons etc should reach the Office of the Jute Commissioner at the below mentioned address within 30 (Thirty) days from the date of issue of this Notification.

Office of the Jute Commissioner
Patsan Bhawan, CF Block
7th & 8th Floor, Action Area-I
Newtown, Kolkata – 700156, WB
E-mail: jcoffice@jutecomm.gov.in

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 2016/माघ 16, 1937
No. 329] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2016/ MAGHA 16, 1937

## वस्त्र मंत्रालय

## आदेश

नई दिल्ली 4 फरवरी, 2016

**का. आ. 382(अ).—** आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है, नामत:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक, सीमा एवं प्रारंभ-** (1) इस आदेश को पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 कहा जाएगा।

2. यह पूरे भारत में प्रभावी होगा।

3. यह इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभाव में आएगा।

2. **परिभाषाएं-** इस आदेश में, यदि परिप्रेक्ष्य में अन्यथा अपेक्षित न हो तो:-

(क) 'कैरियर' में रेलवे, कच्ची पटसन तथा पटसन वस्त्रों का लदान एवं ढुलाई करने में संलग्न एजेंट अथवा भूमि, वायु या जलमार्ग द्वारा पटसन एवं पटसन वस्त्रों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के व्यापार में संलग्न कोई अन्य व्यक्ति शामिल होंगे;

(ख) 'पटसन आयुक्त' का तात्पर्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पटसन आयुक्त तथा उप-पटसन आयुक्त और इस आदेश के अंतर्गत पटसन आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किए गए किसी अन्य अधिकारी से होगा;

(ग) 'पटसन मिल' से तात्पर्य मशीनी प्रक्रिया अथवा इलेक्ट्रिकल प्रक्रिया अथवा दोनों प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए कच्ची पटसन से पटसन वस्त्रों का उत्पादन करने वाले विनिर्माता से है;

(घ) 'पटसन वस्त्रों' में पूर्णत: कच्ची पटसन, अथवा आंशिक रूप से कच्ची पटसन और आंशिक रूप से किसी अन्य सामग्री अथवा ऐसी सामाग्रियों जिनमें कच्ची पटसन की मात्रा इसके वजन के 50% से अधिक हो, द्वारा तैयार यार्न, ट्वाइन, सैकिंग क्लोद, बैग अथवा बोरे तथा अन्य वस्तुएं शामिल हैं;

(ङ) 'विनिर्माता' का तात्पर्य पटसन मिलों सहित किसी भी प्रक्रिया के द्वारा पटसन वस्त्रों की किसी भी किस्म के उत्पादक से है;

(च) 'कच्ची पटसन' का तात्पर्य पट, पटसन, बिमली अथवा मेस्टा के नाम से जानी जाने वाली पटसन फाइबर से है;

(छ) 'भंडारकर्ता' का तात्पर्य कच्ची पटसन अथवा पटसन वस्त्रों अथवा दोनों का भंडार रखने वाले किसी व्यक्ति, विनिर्माता, डीलर, आयातक, व्यापारी अथवा एजेंसी से है;

(ज) 'अनुचित प्रक्रियाएं' पैरा-4 के अंतर्गत दिए गए किसी आदेश के संबंध में 'अनुचित प्रक्रियाओं' का तात्पर्य पटसन बोरों के गबन, गैर-आपूर्ति अथवा पटसन बोरों की आपूर्ति में चूक, प्रयुक्त अथवा पुराने पटसन बोरों अथवा कम वजन के पटसन बोरों अथवा आयातित पटसन बोरों, आयातित कच्ची पटसन अथवा पटसन यार्न अथवा फैब्रिक द्वारा विनिर्मित पटसन बोरे, गैर-ब्रांड वाले अथवा अधूरे ब्रांडेड अथवा गलत तरीके से ब्रांडेड पटसन बोरों अथवा ऐसे पटसन बोरों जोकि उत्पादन नियंत्रण आदेश में उल्लिखित विशिष्टताओं अथवा बीआईएस मानकों के अनुरूप न हों, की आपूर्ति से है;

(झ) 'वर्ष' का तात्पर्य 01 जुलाई से प्रारंभ होकर अगले वर्ष की 30 जून तक की अवधि से है।

3. **मूल्य निर्धारण की शक्ति –** (1) पटसन आयुक्त, समय-समय पर सरकारी राजपत्र में उस न्यूनतम मूल्य को अधिसूचित करेगा जिस पर कच्ची पटसन की किसी भी किस्म और ग्रेड को खरीदा अथवा बेचा जा सकता है तथा विभिन्न क्षेत्रों अथवा विभिन्न किस्मों, ग्रेडों अथवा कच्ची पटसन की विशिष्टताओं हेतु विभिन्न मूल्यों, इस शर्त के अध्यधीन निर्धारित किया जा सकता है कि ये मूल्य केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आधारित है।

(2) पटसन आयुक्त, ऐसे मूल्य अथवा मूल्यों का निर्धारण करते हुए, कच्ची पटसन की किस्मों, ग्रेड तथा विशिष्टताओं, उत्पादन क्षेत्र से किसी क्षेत्र अथवा ऐसे क्षेत्रों जिनके संबंध में ऐसे मूल्य अथवा मूल्यों का निर्धारण किया जाना है, तक कच्ची पटसन के परिवहन, रख-रखाव तथा भंडारण हेतु आवश्यक अन्य खर्चों तथा माल भाड़ा उचित मूल्य पर इसे उपलब्ध कराने की आवश्यकता तथा कोई अन्य संबंधित कारक अथवा कारकों का संज्ञान लेगा।

(3) पटसन आयुक्त, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे उचित मूल्य का निर्धारण करेगा जिस पर कच्ची पटसन की किसी किस्म अथवा ग्रेड को खरीदा अथवा बेचा जा सके, तथा कच्ची पटसन की विभिन्न किस्मों तथा ग्रेडों के लिए अथवा विभिन्न क्षेत्रों हेतु विभिन्न मूल्य निर्धारित किए जा सकें।

(4) उप-पैरा (3) के अंतर्गत उचित मूल्य का निर्धारण करते समय, पटसन आयुक्त कच्ची पटसन की किस्म तथा ग्रेड, उत्पादन क्षेत्र से किसी क्षेत्र अथवा ऐसे क्षेत्रों जिनके संबंध में ऐसे मूल्य अथवा मूल्यों का निर्धारण किया जाना है तक कच्ची पटसन के परिवहन, रख-रखाव तथा भंडारण हेतु आवश्यक अन्य खर्चों तथा माल भाड़ा तथा कोई अन्य संबंधित कारक अथवा कारकों का संज्ञान लेगा।

(5) कोई भी व्यक्ति उप-पैरा (3) के अंतर्गत उपर्युक्त हेतु निर्धारित उचित मूल्य से अधिक मूल्य पर कच्ची पटसन की खरीद या बिक्री अथवा बिक्री हेतु ऑफर नहीं देगा।

(6) पटसन आयुक्त, समय-समय पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिकतम मूल्य अथवा न्यूनतम मूल्य अथवा मामूली मूल्य अथवा इन सभी का, जिन पर पटसन वस्त्रों की किन्हीं विशिष्टताओं को पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम,1987 (1987 का 10) के अंतर्गत प्रयोग अथवा किसी अन्य प्रयोग हेतु खरीदा अथवा बेचा जा सकेगा, निर्धारण करेगा।

4. **पटसन वस्त्रों के उत्पादन को नियंत्रित करने की शक्ति –** (1) पटसन आयुक्त, पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम,1987 (1987 का 10) अथवा केंद्र सरकार के किसी अन्य निदेश के

क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएगा तथा आदेश द्वारा किसी पटसन मिल को ऐसे क्रियान्वयन हेतु आदेश में यथाउल्लिखित पटसन वस्त्रों की किन्हीं विशिष्टताओं की किसी मात्रा के उत्पादन करने के निदेश दे सकता है तथा ऐसे आदेश को उत्पादन नियंत्रण आदेश (पीसीओ) कहा जाएगा।

(2) पटसन आयुक्त, पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम,1987 (1987 का 10) अथवा केंद्र सरकार के किसी अन्य निदेश के क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएगा तथा आदेश द्वारा ऐसे क्रियान्वयन हेतु आदेश में यथाउल्लिखित पटसन वस्त्रों की ऐसी विशिष्टताओं की ऐसी मात्राओं को चिन्हित करने, उनकी छपाई अथवा ब्रांड हेतु आयातकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, कच्ची पटसन तथा कच्ची पटसन के व्यापारियों को निदेश दे सकता है।

5. **कच्ची पटसन के भंडार को विनियमित करने की शक्ति –** (1) पटसन आयुक्त, आदेश द्वारा –

(i) कच्ची पटसन अथवा पटसन की किसी अन्य विशिष्ट किस्म की उस अधिकतम मात्रा को निर्दिष्ट कर सकता है जिसे एक विनिर्माता किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा एजेंसी अथवा किसी अन्य से किसी विशिष्ट अवधि के दौरान खरीदेगा;

(ii) कच्ची पटसन की उस अधिकतम मात्रा को निर्धारित करेगा जिसे एक विनिर्माता किसी विशिष्ट अवधि के दौरान अपने स्वामित्व में रख सकता है।

(2) उप-पैरा (1) के खंड (i) के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए पटसन आयुक्त निम्न को ध्यान में रखेगा-

(क) विगत वर्ष के दौरान विनिर्माता द्वारा प्रयोग की गई कच्ची पटसन की मात्रा;

(ख) आदेश जारी होने की तारीख से तत्काल पूर्व की छह माह की अवधि के दौरान विनिर्माता के स्वामित्व में रहने वाली कच्ची पटसन की अधिकतम मात्रा;

(ग) पटसन वस्त्रों के विनिर्माण के लिए विनिर्माता की क्षमता;

(घ) कच्ची पटसन के मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता;

(ङ) पटसन वस्त्रों के विनिर्माता हेतु कच्ची पटसन की उपलब्धता;

(च) पैरा-4; एवं

(छ) इस उद्देश्य हेतु पटसन आयुक्त की राय में कोई अन्य संबंधित कारक।

6. **कच्ची पटसन की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने की शक्ति-** (1) कच्ची पटसन की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पटसन आयुक्त, किसी भंडारकर्ता के लिए निम्नलिखित को आवश्यक कर सकता है:-

(i) पटसन आयुक्त अथवा उसके स्थान पर उसके द्वारा किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी के पास पंजीकरण हेतु आवेदन;

(ii) पटसन आयुक्त अथवा उप-पटसन आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना एक विशिष्ट सीमा के बाहर उसके भंडार को बेचने अथवा आपूर्ति करने पर पाबंदी; अथवा

(iii) कच्ची पटसन अथवा पटसन की किसी अन्य विशिष्ट किस्म की अधिकतम मात्रा को रखना जोकि भंडारकर्ता किसी विशिष्ट अवधि के दौरान किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा किसी एजेंसी से अथवा किसी अन्य से खरीद अथवा बेच सकता है अथवा अपने स्वामित्व में रख सकता है।

(2) उप-पैरा (1) के तहत आदेश जारी करते समय पटसन आयुक्त निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा:-

i. उसके कब्जे में रखी कच्चे पटसन की मात्रा;

ii. ऐसे भंडारों की किस्म, स्थिति और ग्रेड संयोजन;

iii. बिक्री और सुपुर्दगी करने की उपयुक्त और दृढ़ वचनबद्धता;

iv. कच्ची पटसन आसानी से उपलब्ध कराए जाने तथा एक्सचेंज/एक्सचेंजों के माध्यम से अथवा अन्यथा कच्ची पटसन के भंडारण करने अथवा अटकलबाजी को रोकने के विशेष संदर्भ में विभिन्न भंडारकों द्वारा रखे जा रहे पटसन के ऐसे भंडारों को रखने की अवधि और उद्देश्य; और,

v. पटसन आयुक्त के विचार से इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त कोई अन्य कारक।

7. **गुणवत्ता के निरीक्षण की शक्ति:-** पटसन आयुक्त बाजार में पटसन वस्त्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और अन्तप्रयोक्ता के हितों की सुरक्षा के मद्देनजर अन्तप्रयोक्ता के लिए पटसन वस्त्रों के उत्पादन अथवा भंडारण करने अथवा पटसन वस्त्रों के परिव्यय के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी,

(क) सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा निर्धारित किए गए स्थान और समय पर निरीक्षण के लिए नमूनों की आपूर्ति करना,

(ख) इनके परीक्षण के लिए ऐसे नमूनों को लेने हेतु पटसन आयुक्त द्वारा अधिकृत किए गए केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्वायत निकाय अथवा संस्थान के किसी अधिकारी को अनुमति देना,

(ग) ऐसे अधिकारी अथवा निकाय अथवा संस्थान द्वारा तैयार की गई निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि, जैसा भी मामला हो, विनिर्माता अथवा भंडारकर्ता अथवा कैरियर को प्रदान करना तथा तत्पश्चात पैरा-8 के खंड (क) के अंतर्गत कार्रवाई शुरू करना।

8. **विनिर्माता से आपूर्ति को प्रतिबंधित करने की शक्ति:-**

(क) पटसन आयुक्त के आदेश द्वारा इस पैरा के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार जांच के पश्चात विनिर्माता द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार की प्रकृति और मात्रा के आधार पर 3 महीने से लेकर 2 साल की अवधि के लिए किसी पटसन वस्त्र की आपूर्ति से किसी विनिर्माता को प्रतिबंधित कर सकता है।

(ख) पटसन आयुक्त, आपूर्ति किए गए पटसन वस्त्रों अथवा पटसन वस्त्रों की खेप के संबंध में अनुचित व्यवहार संबंधी आरोप पर स्वत: संज्ञान लेते हुए अथवा अन्तप्रयोक्ता, अथवा खरीद एजेंसी अथवा आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय सहित पटसन बोरों के व्यवसाय में लगे हुए किसी अन्य व्यक्ति से शिकायत की प्राप्ति पर, निम्नलिखित के बाद ही पटसन वस्त्रों की आपूर्तिकरने से विनिर्माता को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी कर सकता है-

i. पटसन वस्त्रों के उत्पादन और संभालने के किसी चरण के दौरान पटसन वस्त्रों का निरीक्षण करने हेतु कम से कम निरीक्षक की रैंक के किसी निरीक्षण अधिकारी को निदेश दिया है। विनिर्माता को यह पता लगाने का नोटिस देते हुए कि क्या विनिर्माता ने अनुचित तरीकों का प्रयोग किया है;

ii. उसने ऐसे निरीक्षण अधिकारी द्वारा तैयार की गई निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि विनिर्माता को प्रदान की है;

iii. उसने संबंधित विनिर्माता को कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया है कि क्यों न उसके विरूद्ध खंड (क) के संबंध में कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाए;

iv. उसने ऐसे विनिर्माता को सुनने का उचित अवसर दिया है और आदेश में इसका कारण निहित होगा कि क्यों न खंड (क) के संबंध में विनिर्माता की आपूर्ति प्रतिबंधित की जानी चाहिए अथवा प्रतिबंधित नहीं की जानी चाहिए।

(ग) जब खंड (ख) में उल्लिखित स्थितियों में पटसन आयुक्त द्वारा खंड (क) के अंतर्गत आदेश जारी किया जाता है, पटसन आयुक्त के पास विनिर्माता द्वारा आपूर्ति किए गए पटसन वस्त्रों के ऐसे स्टॉक अथवा स्टॉकों अथवा पटसन वस्त्रों की खेप के निपटान का अधिकार होगा।

(घ) यदि कोई विनिर्माता इस पैरा के अंतर्गत निरीक्षण की अवधि अथवा की गई जांच के दौरान सहयोग नहीं करता है अथवा आंकड़े और सूचना देने से मना करने सहित किसी रूप में अवरोध अथवा बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करता है, वह खंड (क) के संबंध में 3 महीने से 2 वर्ष की अवधि के लिए पैरा 4 के अंतर्गत किसी खरीद ऑर्डर के विरूद्ध किसी पटसन वस्त्र की आपूर्ति को रोक सकता है।

(ङ) इस पैराग्राफ के अंतर्गत जारी किए प्रत्येक आदेश को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

9. **सूचना मंगाने और निरीक्षण, जांच और जब्त करने की शक्ति:-** (1) पटसन आयुक्त को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चितकरने के लिए:-

(क) उस व्यक्ति अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी व्यवसाय के संबंध में सूचना देने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी।

(ख) किसी व्यक्ति के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में लेखा पुस्तिकाओं अथवा अन्य दस्तावेजों को नियंत्रण में लेने के लिए उनका निरीक्षण करना अथवा निरीक्षण करवाना अथवा स्वामित्व में लेना जो उसके विचार से इस आदेश के किसी उल्लघंन के संबंध में किसी कार्यवाही के लिए उपयुक्त अथवा उचित होगा और जिस व्यक्ति के पास से ऐसे लेखा पुस्तिकाएं अथवा अन्य दस्तावेज पकड़ी गई हो, उसे उसकी प्रतिलिपि करने अथवा ऐसी लेखा पुस्तिकाओं अथवा अन्य दस्तावेजों वाले अधिकारी की उपस्थिति में उसका संक्षिप्त विवरण प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करेगा।

(ग) किसी परिसर में प्रवेश और उसकी जांच करेगा तथा किसी कच्ची पटसन अथवा पटसन वस्त्र को कब्जे में लेगा जिसके संबंध में उन्हें विश्वास है कि इस आदेश का उल्लंघन हुआ है, किया जा रहा है अथवा होने वाला है और उसके पश्चात इस प्रकार जब्त किए गए स्टॉक का उत्पादन सुरक्षित करने के लिए,ऐसा उत्पादन लंबित रहने तक, उनकी सुरक्षा के लिए अदालत में सभी अनिवार्य उपाय करने के लिए अधिकार में लेगा अथवा प्राधिकृत करेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसे खंड (क) और (ख) के अंतर्गत नमूना प्रस्तुत करना अथवा कोई सूचना देना अथवा कोई पुस्तिका प्रस्तुत करना अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है, इस आवश्यकता अथवा निदेश का पालन करेगा।

(3) जांच और जब्त करने से संबंधित अपराधिक क्रियाविधि संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधान इस पैराग्राफ के अंतर्गत जांच करने और जब्त करने के लिए लागू होंगे।

10. **अपील –** इस आदेश के अंतर्गत दिए गए पटसन आयुक्त के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर केंद्र सरकार से अपील कर सकता है और केंद्र सरकार अपील करने वाले को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद जैसा उचित समझे अपील पर ऐसे आदेश दे सकता है:

बशर्ते कि केंद्र सरकार 30 दिन की उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात अपील पर सुनवाई कर सकता है, यदि अपीलकर्ता केंद्र सरकार को संतुष्ट कर देता है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपील नहीं कर पाने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण थे।

11. **दंड-** ऐसा कोई वृयक्ति जो आदेश के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता है अथवा इसके अंतर्गत दिए गए किसी निदेश अथवा अपेक्षा को पूरा करने में असफल होता है तो उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 7 के अंतर्गत दंड दिया जाएगा।

12. **अधीनस्थ अधिकारियों को प्राधिकृत करने की शक्ति-** केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन पटसन आयुक्त लिखित में सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अधिकारी को अपनी ओर से उसके सभी अथवा कोई कार्य करने तथा इस आदेश के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

13. **निरसन और बचाव–** पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2000 का एतद्वारा निरसन किया जाता है:-

बशर्ते कि दिया गया कोई आदेश, जारी की गई अधिसूचना, प्राप्त अधिकार, लगाया गया दंड अथवा किया गया कोई कार्य अथवा की गई कोई कार्रवाई अथवा कर दिया गया, मान लिया गया अथवा उक्त आदेश के

अनुपालन में किया गया का,र्य कर दिया गया, जारी किया गया, प्राप्त किया गया, लगाया गया अथवा नियंत्रण में लिया गया अथवा इस आदेश के तदनरूपी प्रावधानों का अनुपालन माना जाएगा।

[फा. सं. 4/13/2015-पटसन]

ए.मधुकुमार रेड्डी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF TEXTILES

## ORDER

New Delhi, the 4th Febuary, 2016

**S.O. 382(E).–** In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title, extent and commencement –** (1) This Order may be called the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016.
   (2) It extends to the whole of India.
   (3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions** .– In this Order, unless the context otherwise requires,-

(a) “carrier” includes the railways, agents engaged in loading and unloading of raw jute and jute textiles or any other person engaged in the business of transporting raw jute and jute textiles from one place to another by land, air or water;

(b)“Jute Commissioner” means the Jute Commissioner and the Deputy Jute Commissioner appointed by the Central Government and includes any other officer appointed as such to exercise the powers of the Jute Commissioner under this Order;

(c) “jute mill” means a manufacturer producing jute textiles from raw jute involving mechanical process or electrical processes or both processes;

(d) “jute textiles” means and includes yarn, twine, sacking cloth, bags or sacks and other articles made, wholly from raw jute, or partly from raw jute and partly from any other material or materials where raw jute constitutes more than fifty per cent. of its weight;

(e) “manufacturer” means the producer of any variety of jute textiles by employing any process and includes jute mill;

(f) “raw jute” means the fibre of jute also known as pat, patsan, bimli or mesta;

(g) “stockist” means and includes any person, manufacturer, dealer, importer, trader or agency holding stock of raw jute or jute textiles or both;

(h) “unfair practices” in relation to an order made under paragraph 4 shall include misappropriation of jute bags, non-supply or default in supply of jute bags, supply of used or old jute bags or underweight jute bags or imported jute bags, jute bags manufactured with imported raw jute or jute yarn or fabric, unbranded or incompletely branded or wrongly branded jute bags or jute bags which do not conform to the BIS standards or the specifications mentioned in the production control order;

(i) “year” means the year commencing on the 1st day of July and ending with the 30th day of June next following.

3. **Power to fix prices.–** (1) The Jute Commissioner may, from time to time, notify in the Official Gazette, the minimum price, at which any variety and grade of raw jute may be purchased or sold and different prices may be fixed for different areas or for different varieties, grades or specifications of raw jute subject to the condition that such price is based on the Minimum Support Price declared by the Central Government.

(2) In fixing such price or prices, the Jute Commissioner shall also have regard to the varieties, grades and specifications of raw jute, the freight and other expenses necessary for the transport, handling and storage of raw jute from the growing area to the area or areas in relation to which such price or prices is or are to be fixed, necessity to make the same available at a fair price and any other relevant factor or factors.

(3) The Jute Commissioner may, by notification in the Official Gazette, fix the reasonable price at which any variety and grade of raw jute may be purchased or sold, and different prices may be fixed for different areas or for different varieties and grades of raw jute.

(4) While fixing the reasonable price under sub-paragraph (3), the Jute Commissioner shall have regard to the variety and grade of raw jute, the freight and other expenses necessary for the transport, handling and storage of raw jute from the growing area to the area or areas in relation to which such price or prices is or are to be fixed and any other relevant factor or factors.

(5) No person shall sell or offer to sell or purchase or offer to purchase any raw jute at a price exceeding the reasonable price fixed therefor under sub-paragraph (3).

(6) The Jute Commissioner may, by notification in the Official Gazette, fix from time to time, the maximum price or minimum price or nominal price or all of them at which any specification of jute textiles may be purchased or sold for use under the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987) or for any other use.

4. **Power to control production of jute textiles** .– (1) The Jute Commissioner shall take all steps necessary for the implementation of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987) or any other directive of the Central Government and may by order, direct any jute mill, to produce such quantities of such specifications of jute textiles as may be specified in the order for such implementation, and the said order may be called as the Production Control Order (PCO).

(2) The Jute Commissioner shall take all steps necessary for the implementation of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987) or any other directive of the Central Government and may by order, direct any importers, processors, traders of raw jute and jute textiles to mark or print or brand such quantities of such specifications of jute textiles as may be specified in the order for such implementation.

5. **Power to regulate stocks of raw jute .–** (1) The Jute Commissioner may, by order, –

(i) specify the maximum quantity of raw jute or any specified variety of jute which a manufacturer shall purchase from any specified person or agency or otherwise during any specified period;

(ii) specify the maximum quantity of raw jute which a manufacturer may have in his own possession during any specified period.

(2) In issuing an order under clause (i) of sub-paragraph (I), the Jute Commissioner shall have regard to-

(a) the quantity of raw jute used by the manufacturer during the previous year;

(b) the maximum quantity of raw jute which the manufacturer has had in his possession during the period of six months immediately preceding the date of the order;

(c) the capacity of the manufacturer to manufacture jute textiles;

(d) the need to maintain stability in the prices of raw jute;

(e) the availability of raw jute for manufacture of jute textiles;

(f) paragraph 4; and

(g) any other factor which in the opinion of the Jute Commissioner is relevant for the purpose.

6. **Power to ensure easy availability of raw jute .**-(1) With a view to ensure easy availability of raw jute, the Jute Commissioner may, by order, require any stockist, -

(i) to apply for registration to the Jute Commissioner or any officer duly authorised by him in his behalf;

(ii) not to sell or deliver his stock beyond a specified limit without the permission in writing of the Jute Commissioner or Deputy Jute Commissioner; or

(iii) to keep the maximum quantity of raw jute or any specified variety of jute which the stockist may have in his possession or purchase or sell from or to any specified person or agency or otherwise during any specified period.

(2) In issuing an order under sub-paragraph (1), the Jute Commissioner shall have regard to-

(i) the quantity of raw jute in his possession;

(ii) the quality, condition and grade composition of such stocks;

(iii) genuine and firm commitment to sell and to deliver;

(iv) period and the purpose for which such stocks of raw jute are being held by various stockists with particular reference to making raw jute easily available and to prevent holding of stocks or speculation in raw jute through Exchange or Exchanges or otherwise; and

(v) any other factor, which in the opinion of the Jute Commissioner may be relevant for the purpose.

7. **Power to inspect quality** .- The Jute Commissioner, may, with a view to ensuring quality of jute textiles in the market and to protect the interests of the end-user, require any person, producing or holding stock of jute textiles or transporting jute textiles to the end user,

(a) to deliver samples for inspection at a place and time so fixed by a general or specific order;

(b) to permit any official of the Central Government or State Government or any other autonomous body or institution authorised by the Jute Commissioner to draw such samples for testing the same;

(c) to provide a copy of the inspection report prepared by such official or body or institution to the manufacturer or the stockist or the carrier, as the case may be, and proceedings under clause (a) of paragraph 8 may be initiated thereafter.

**8. Power to prohibit supply by manufacturer.-**

(a) Any manufacturer may be prohibited from supplying any jute textiles for a period ranging from three months to two years depending on the nature and extent of unfair practices carried on by the manufacturer after an enquiry as provided under this paragraph by an order of the Jute Commissioner.

(b) The Jute Commissioner may, suomoto or on receipt of a complaint from an end-user, or procurement agency or any other person involved in the business of jute sacking including Director-General of Supply and Disposal alleging unfair practices in respect of delivered jute textiles or a consignment of jute textiles, pass an order prohibiting a manufacturer from supplying jute textiles only after he –

(i) has directed an inspection officer not below the rank of an Inspector to conduct an inspection of jute textiles during any stage of production and handling jute textiles with a notice to the manufacturer to find out whether the manufacturer has resorted to unfair practices;

(ii) has provided a copy of the inspection report prepared by such inspection officer to the manufacturer;

(iii) has issued a notice to show cause upon the concerned manufacturer as to why punitive action in terms of clause (a) should not be taken against him;

(iv) has given such manufacturer a reasonable opportunity of being heard, and the order shall contain reasons as to why the manufacturer should or should not be prohibited in terms of clause (a).

(c) When an order under clause (a) is passed by the Jute Commissioner in situations mentioned in clause (b), the Jute Commissioner shall have the right to dispose of such stock or stocks of jute textiles or a consignment of jute textiles which has been supplied by the manufacturer.

(d) If a manufacturer does not co-operate or attempts to create obstruction or impediment in any form including refusal to supply data and information during the course of inspection or enquiry carried out under this paragraph he may be prohibited from supplying any jute textile against any procurement order under paragraph 4 for a period ranging from three months to two years in terms of clause (a).

(e) Every order passed under this paragraph shall be notified in the Official Gazette.

9. **Power to call for information and to inspect, search and seizure**.–(1) The Jute Commissioner may, with a view to securing compliance with this Order, –

(a) require any person to give any information in his possession with respect to any business carried on by that person or any other person;

(b) inspect or cause to be inspected or seize or cause to be seized books of accounts or other documents in the possession or under the control of any person which in his opinion shall be useful for or relevant to, any proceedings in respect of any contravention of this Order and allow the person from whose custody such books of accounts or other documents are seized to make copies thereof or to take extracts from therein the presence of the officer having the custody of such books of accounts or other documents;

(c) enter and search any premises and seize any raw jute or jute textiles in respect of which he has reason to believe that a contravention of this Order has been, is being or is about to be committed and thereafter take or authorise the taking of all measures necessary for securing the production of stocks so seized, in a court for their safe custody, pending such production.

(2) Every person who is required to furnish sample, or give any information or produce any book or other documents under clauses (a) and (b) shall comply with such requisition or direction.

(3) The provisions of the Code of Criminal Procedures, 1973 (2 of 1974) relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this paragraph.

10. **Appeal.–** Any person aggrieved by an order of the Jute Commissioner made under this Order may prefer an appeal to the Central Government within thirty days of the date of communication to him of such order and the Central Government may after giving the appellant an opportunity of being heard, pass such orders on the appeal as it thinks fit:

Provided that the Central Government may entertain an appeal after the expiry of said period of thirty days, if the appellant satisfies the Central Government that he had sufficient cause for not preferring the appeal within the specified time.

11. **Penalty.–** Any person who contravenes any of the provisions of this Order or fails to carry out any direction or requisition made thereunder shall be punishable under section 7 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

12. **Power to authorise sub-ordinate officers** .- Subject to the prior approval of the Central Government, the Jute Commissioner may, by a general or special order in writing, authorise any officer of the Central Government or a State Government to exercise on his behalf, all or any of his functions and powers under this Order.

13. **Repeal and saving** .– The Jute and Jute Textiles Control Order, 2000is hereby repealed:

Provided that any order made, notification issued, right accrued, penalty imposed or anything done or any action taken or purported to have been done or taken under or in pursuance of the said Order shall be deemed to have been made, issued, accrued, imposed or done or taken under or in pursuance of the corresponding provisions of this Order.

[F. No. 4/13/2015-Jute]

A. MADHUKUMAR REDDY, Jt. Secy.

Uploaded by the Dte. Of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.